संख्या– 20 /एक–10–2019–15(जी)/2017

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 10 जनवरी, 2019

विषयः वर्ष 2018 में बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018 में बाढ़/भारी वर्षा से जनपद की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों का विवरण आपके पत्रांक 660/आ0रा0सहा0/सार्वजनिक सम्पत्ति–क्षति/2018 दिनांक–26–11–2018 द्वारा उपलब्ध कराते हुए उनकी मरम्मत हेतु कुलरू0–294.53 लाख की धनराशि आवंटित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– आपके जनपद की मांग के सापेक्ष भारत सरकार के आदेश दिनांक–18–04–2015 में निर्धारित मानक के अनुसार बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 294.53 लाख (रूपये दो करोड़ चौरानबे लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति/कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	5
1	दुल्लापुर उमापुर किमी0 8 से नेवरा कोडरा सम्पर्क मार्ग	4.72
2	उमापुर दुल्लापुर किमी0 2 से रजनपुर सम्पर्क मार्ग	3.54
3	करौंदी सम्पर्क मार्ग	1.70
4	बाबा बाजार से कामाख्या भवानी मार्ग	8.26
5	पारा पहाड़पुर सम्पर्क मार्ग से लोहरास का पुरवा सम्पर्क मार्ग	6.04
6	सैदपुर रोड से करौंदी सम्पर्क मार्ग	4.60
7	ईदगाह से रसूलपुर सम्पर्क मार्ग	5.90
8	मवई पटरंगा रोड किमी0 9 से गजकरी सम्पर्क मार्ग	1.89
9	जखौली मियां का पुरवा रोड से कटघरा नहर की पटरी होते हुए सम्पर्क मार्ग	5.00
10	अशरफपुर गंगरैला किमी0 3 से चकपुरवा सम्पर्क मार्ग	4.25

Scanned by CamScanner

11	मवई पटरंगा रोड किमी0 11 से नन्दू मिश्र का पुरवा सम्पर्क मार्ग	4.72
12	पटरंगा मण्डी मार्ग से दुल्लापुर वाया नगरा सम्पर्क मार्ग	13.69
13	चमारन का पुरवा से मोहम्मदपुर खजुही सम्पर्क मार्ग	4.48
14	चित्तईपुर फततापुर सम्पर्क मार्ग	4.72
15	रूदौली गौरियामऊ से लोहियापुल सम्पर्क मार्ग	15.81
16	अमीरपुर सम्पर्क मार्ग	2.36
17	कछौली सम्पर्क मार्ग	2.83
18	एन0एच0–28 रानीमऊ चौराहा से कोदनिया बकौली कायमपुर लालपुर होते हुए घोवल तक सम्पर्क मार्ग	9.44
19	उसरी सम्पर्क मार्ग	1.89
20	तालगांव सम्पर्क मार्ग	8.73
21	रानीमऊ सम्पर्क मार्ग	3.07
22	बरौली रोड से पूरे पठान सम्पर्क मार्ग	4.25
23	एन0एच0–28 किमी0 81 से गड़ेरियन का पुरवा सम्पर्क मार्ग	1.42
24	मवई पटरंगा मार्ग से हुनहुना सम्पर्क मार्ग	2.83
25	तेलनिया सम्पर्क मार्ग	1.89
26	एन0एच0–28 किमी0 81 से गड़ेरियन का पुरवा होते हुए बरगदी तक सम्पर्क मार्ग	4.72
27	अख्तियारपुर मरौचा सं0 मार्ग का मरम्मत कार्य	14.16
28	लखनीपुर बीबीपुर सं0 मार्ग का मरम्मत कार्य	4.72
29	रानेपुर सम्पर्क मार्ग का मरम्म्त कार्य।	1.89
30	लखनीपुर रायपुर सम्पर्क मार्ग	4.72
31	पूरे काजी सम्पर्क मार्ग	1.89
32	मैरामऊ सम्पर्क मार्ग	5.43
33	जोलाहन का पुरवा सम्पर्क मार्ग	2.83
34	पटरंगा मण्डी से पटरंगा गांव सम्पर्क मार्ग	7.09
35	नवीपुर सम्पर्क मार्ग	4.25
36	कोदनिया सम्पर्क मार्ग	1.65
37	बाबा का पुरवा सम्पर्क मार्ग	3.74
38	सत्तीचौरा बरसेण्डी बड़ागांव सम्पर्क मार्ग	3.30
39	रा0मा0 से हाजीपुर बरसेण्डी सम्पर्क मार्ग	4.48
40	खम्हरिया सम्पर्क मार्ग	2.36
41	खिरौनी अंचली का पुरवा सम्पर्क मार्ग	4.72
42	संजयगंज दीवान का पुरवा सम्पर्क मार्ग	4.72
43	संजयगंज मजनावां सम्पर्क मार्ग	7.08
44	डयोढ़ी सुरवारी सम्पर्क मार्ग	4.72
45	गांधीनगर साधू का पुरवा मीरपुर मजनावां सम्पर्क मार्ग	7.25

Scanned by CamScanner

46	सारा सम्पर्क मार्ग से नई बाजार मीरपुर सम्पर्क मार्ग	5.90
47	रा0मा0 से महोली सं0 मार्ग	4.72
48	रा0मा0 से ढेमुआ घाट सम्पर्क मार्ग	3.54
49	रामनगर धौरहरा सम्पर्क मार्ग	3.54
50	डयोढ़ी से अमानीगंज सम्पर्क मार्ग	16.52
51	कोटिया सं0 मार्ग	7.15
52	मिश्रौली सम्पर्क मार्ग	7.08
53	कुमारगंज खण्डासा सम्पर्क मार्ग	8.97
54	बंवा सम्पर्क मार्ग	4.01
55	कीन्हूपुर डीली सरैया से जगदीशपुर सम्पर्क मार्ग	8.02
56	कालापुर सम्पर्क मार्ग	1.32
	कुल योग	**294.53**
	(रूपये दो करोड़ चौरानबे लाख तिरपन हजार मात्र)	

3– स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से उपभोग किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–1–803 /दस–2013–10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, के अनुसार किया जायेगा।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800– अन्य व्यय–05–नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो के लिए ही किया जायेगा। किसी भी अन्य कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व, कार्य के समय एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ अवश्य रखे जायें एवं प्रगति रिपोर्ट राहत आयुक्त कार्यालय की ई–मेल rahat@nic-in पर उपलब्ध करायी जाये।

7– राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

8– निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9– राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध

Scanned by CamScanner

कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

10— राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—यू0ओ0—2/1—11—2013—रा0—11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

11— उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12— व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकित कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या — 20 (1)/1—10—2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2— सम्बन्धित मण्डलायुक्ता।
3— सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त , उ0प्र0।
5— अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड—2, अयोध्या।
6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5
7— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग—10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner